

विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम 2015–2016

1. प्रवेश के लिये अर्हता एवं अन्य सम्बन्धित नियम

1.1 प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत एवं प्रवेश परीक्षा में बैठने की पात्रता –

- 1.1.1 विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत एवं प्रवेश अर्हता की जानकारी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विभाग के विवरण के साथ में इसी विवरणिका में दी गई है लगभग सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अर्हता, अर्हताकारी परीक्षा में औसतन 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। म0प्र0 के मूल रूप से निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता में **5 प्रतिशत** की छूट प्रदान की जायेगी। निःशक्तजनों (म0प्र0 शासन द्वारा परिभाषित) को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में **5 प्रतिशत** की छूट दी जायेगी।
- 1.1.2 निर्धारित अर्हता प्रतिशत के आवेदक के उपलब्ध न होने की स्थिति में, बिना प्रवेश परीक्षा वाले पाठ्यक्रमों में रिक्त स्थानों पर ऐसे आवेदक जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, को प्रवेश दिया जा सकेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी ऐसे आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसके कि अर्हताकारी परीक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक हों, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित हो ।
- 1.1.3 महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिक छात्र एवं छात्राओं को ज्योतिर्विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये न्यूनतम आर्हता में 5 प्रतिशत की, ऊपर वर्णित छूट के अतिरिक्त प्रदान की जावेगी।
- 1.1.4 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा दी है तथा अपने परीक्षा परिणाम का इन्तजार कर रहे हैं, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके अन्तिम प्रवेश परिणाम बिन्दु क्रमांक 4.14 से निर्देशित होंगे ।
- 1.1.5 जिन अभ्यर्थियों ने अर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उन्हें उस विश्वविद्यालय का अर्हता प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 1.1.6 **नये प्रवेश, पाठ्यक्रमों के केवल प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष में ही दिये जायेंगे।**
- 1.1.7 ऐसे छात्र जिनके अभिभावकों का स्थानान्तर ग्वालियर शहर में हुआ है उनको अन्य सेमेस्टर में भी प्रवेश दिया जा सकता है।

1.2 आयु सीमा –

मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार 01 जुलाई, 2015 को **स्नातक** स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा **23 वर्ष** तथा **स्नातकोत्तर** स्तर के पाठ्यक्रमों में अधिकतम आयु **28 वर्ष** निर्धारित है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रूप से अपंग अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में **03 वर्ष** की छूट प्रदान की जायेगी। निःशक्त जन वर्ग के आवेदकों के लिए स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा **30 वर्ष** एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में **35 वर्ष**

होगी। राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशी या अन्य ऐसे विभाग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनके अधीन हैं, के द्वारा प्रत्याभूतित छात्रों के लिये अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा। ऐसे छात्र जो पेमेन्ट सीट की निर्धारित फीस का भुगतान यदि विदेशी मुद्रा में करते हैं एवं महिला/छात्रा अभ्यर्थियों के लिये भी अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा। एल.एल.एम., एम0बी0ए0 हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एवं ज्योतिर्विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भी अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं है। पार्ट-टाइम एवं दूरस्थ शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

1.3 प्रवेश हेतु अपात्रता—

- 1.3.1 जिनकी आयु, निर्धारित आयु सीमा से अधिक है।
- 1.3.2 ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हतादायी परीक्षा की पूरक / ATKT (प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक) परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।
- 1.3.3 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी संकाय के एक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उसी संकाय के अन्य समान स्तर के पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर कोई आवेदक किसी विषय में प्रवेश लेकर किन्हीं कारणोंवश अध्ययन जारी नहीं रखता है, या छोड़ देता है, तो उसे पुनः उसी विषय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 1.3.4 ऐसे अभ्यर्थी जो कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किये जा चुके हैं या जिनके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों/अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ अनाचरण/मारपीट करने के गम्भीर प्रमाणित आरोप हों या जिनके विरुद्ध इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी हो, वह सभी छात्र प्रवेश की पात्रता नहीं रखते हैं।
- 1.3.5 सरकारी/गैर-सरकारी कर्मचारी उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले सकते जो कार्यालयों के कार्यालयीन समय पर चलते हैं। फिर भी वे उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं जो नियमित कार्यालयीन समय के उपरान्त संचालित होते हैं। इसके लिए उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.4 प्रवेश सूचकांक में लाभदेयता —

- 1.4.1 निम्नांकित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों पर एवं प्रवेश सूचकांक में 5% अधिभार दिया जायेगा। यह अधिभार प्रवेश परीक्षा आधारित एवं बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थी की मेरिट निर्धारित करते समय प्रदान किया जायेगा।
 - i. एन0 एस0 एस0 का 240 घण्टे कार्य करने सम्बन्धित बी/सी प्रमाण-पत्र।
 - ii. एन0 सी0 सी0 का बी/सी सर्टिफिकेट।
 - iii. राष्ट्रीय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालयीन स्तर की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता।
 - iv. खेल-कूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय/ अन्तर्विश्वविद्यालयीन स्तर पर सहभागिता।
 - v. अर्हताकारी परीक्षा यदि जीवाजी विश्वविद्यालय अथवा मध्यप्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण हो।

नोट — किसी भी अवस्था में कुल अधिभार 05 प्रतिशत से अधिक प्रदान नहीं किया जायेगा।

प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही सूचकांक (Index) की गणना हेतु उपयोग में लाया जायेगा। **अधिभार** का उपयोग अर्हता में नहीं किया जायेगा। इसका उपयोग केवल वरीयता क्रम निर्धारित करने में किया जायेगा। लाभदेयता से लाभान्वित होने हेतु सम्बन्धित प्रमाणपत्र आवेदनपत्र के साथ संलग्न करें। आवेदनपत्र जमा करने के पश्चात् जमा किये गये प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। यदि कोई आवेदक एक से अधिक श्रेणी में अधिभार की आर्हता रखता है तो उसे उस एक श्रेणी में ही अधिभार दिया जावेगा जिसमें उसकी पात्रता सर्वाधिक होगी।

1.4.2 शारीरिक रूप से अपंग आवेदकों के लिये उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा/प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के **10** प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ प्रदान कर प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी।

1.4.3 जिन आवेदकों ने बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. ऑनर्स किया है, उन्हें भी उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत का अधिभार प्रदान कर उनके प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी।

1.5 विशिष्टीकरण (Specialisation) देने संबंधी नियम –

ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें विशिष्टीकरण (Specialisation) को लेने का विकल्प है, के लिये विशिष्टीकरण प्रश्न-पत्रों में प्रवेश का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –

1.5.1 प्रत्येक विशिष्टीकरण हेतु यथा संभव बराबर स्थान उपलब्ध होंगे। उपलब्ध स्थानों की संख्या तृतीय सेमेस्टर के छात्रों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

1.5.2 विशिष्टीकरण का आवंटन मेरिट तथा व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किया जायेगा। मेरिट, पिछले सेमेस्टर में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

1.5.3 किसी विशिष्टीकरण के चलाने या न चलाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

1.6 एन. आर. आई. एवं प्रायोजित वर्ग का प्रवेश –

1.6.1 एन. आर. आई. वर्ग के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त आवेदकों का प्रवेश उस पाठ्यक्रम एवं संवर्ग के लिये निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत होना अनिवार्य है। उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी।

1.6.2 प्रायोजित सीट्स पर प्रवेश उन्हीं आवेदकों को दिया जायेगा जो आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी करते हों, उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। काउन्सलिंग से पहले एक अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से प्रायोजित करने संबंधी पत्र प्रस्तुत करना होगा

1.6.3 उन्हीं अभ्यर्थियों को ही प्रायोजित की श्रेणी में माना जायेगा जिन्हें राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशी या अन्य ऐसे विभाग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनके अधीन हैं, के द्वारा प्रायोजित किया गया हो या उनके द्वारा पेमेन्ट सीट की निर्धारित फीस का भुगतान यदि विदेशी मुद्रा में किया जाता है।

1.6.4 उक्त आवेदकों को भी एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा प्रायोजित शुल्क रु. 25,000/- पेमेन्ट शीट के लिये निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त जमा करने होंगे। उन्हें पाठ्यक्रम अवधि के दौरान नियोक्ता से अवकाश भी लेना होगा।

1.7 अन्य –

1.7.1 प्रवेश नियमों से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी विवरणिका में दिये गये प्रत्येक पाठ्यक्रम के विस्तृत विवरण में अलग से की गयी है।

2. सीटों का आरक्षण

- 2.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न वर्गों के लिये घोषित आरक्षण नीति केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिये ही लागू होगी।
- 2.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनशील होंगे।
- 2.3 पिछड़े वर्ग के (चिकनी परत को छोड़कर) आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।
- 2.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र और पौत्रियों को, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों, भूतपूर्व तथा वर्तमान में कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों को तथा निशक्तजन श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से ही उपलब्ध कराया जायेगा। निःशक्तजन श्रेणी के आवेदक के लिए 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण उनके संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थान में ही उपलब्ध कराया जायेगा। अगर किसी विद्यार्थी को एक से अधिक वर्ग में अधिभार की पात्रता है तो उसे सर्वाधिक अधिभार वाले वर्ग में अधिभार प्रदान किया जावेगा।
- 2.5 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।
- 2.6 बाह्य संस्थाओं जैसे (DTE आदि) द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त समस्त पाठ्यक्रमों में दो अतिरिक्त स्थान निर्मित माने जावेंगे।
- 2.6.1 एक स्थान विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों एवं अधिकारियों के वार्ड्स के लिए।
- 2.6.2 एक स्थान विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वार्ड्स के लिए।
- वार्ड्स का आशय शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा उन पर निर्भर सगे भाई एवं बहिन से है। इस वावत् कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर/सक्षम प्राधिकारी से आदेशित प्रमाणपत्र प्राप्त करना वांछनीय होगा।
- इस प्रकार के निर्मित स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।**
- 2.7 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी।
- 2.8 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 0.5 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 0.5 एवं 01 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 2.9 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये पर्याप्त छात्र/छात्रायें उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

- 2.10 सक्षम जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण एवं अतिरिक्त सीटों का लाभ देय होगा ।
- 2.11 उम्मीदवार (अभ्यर्थी) द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, का सुस्पष्ट उल्लेख किया जाये । इस विकल्प को किसी भी स्थिति में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।
- 2.12 जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0 आर0 आई0 सीट पर हुआ है, उनका स्थानान्तरण अन्य वर्ग की सीट्स पर नहीं किया जायेगा। लेकिन उसने अगर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा वह मेरिट सूची में प्रवेश हेतु पात्रता रखता है तो वह अपना स्थानान्तरण अन्य वर्ग की सीट्स पर करा सकता है।
- 2.13 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर उनका परस्पर रूपान्तरण मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार किया जायेगा। **परस्पर रूपान्तरण केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये रिक्त आरक्षित स्थान के बीच किया जावेगा।** अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान रिक्त रह जाते हैं तो उनका **रूपान्तरण बिन्दु क्रमांक 4.1.4 के अनुसार होगा ।**

3. आवेदन कैसे करें ?

- 3.1 ऐसे छात्र जो प्रवेश के लिये आवेदन करना चाहते हैं उनको विज्ञापन का अवलोकन करना चाहिए यह विज्ञापन समाचार पत्र तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.jiwaji.edu पर उपलब्ध रहेगा। विज्ञापन को देखकर छात्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे किस विषय एवं कितने विषयों में प्रवेश हेतु आवेदन करना है यह सुनिश्चित करने के पश्चात् छात्र को एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट mponline.gov.in पर जाना होगा । उक्त साईट पर संपर्क करने के लिये छात्र एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क केन्द्र पर जाकर वहाँ उपस्थित जिम्मेदार व्यक्ति से जीवाजी विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करने के लिए कहेंगे। कियोस्क पर उपलब्ध व्यक्ति छात्र को आवेदन पत्र के प्रारूप को भरने में सहायता करेगा। कियोस्क पर जाते समय छात्र पासपोर्ट आकार के अपने दो छायाचित्र लेकर अवश्य जाये जिससे कि उन फोटो को स्कैन कर आवेदन पत्र पर चस्पा किया जा सके।
- 3.2 विद्यार्थी को आवेदन पत्र में अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, कटेगरी जिससे कि वह संबंधित है, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान, पत्र व्यवहार का पता, अन्य गतिविधियों में सहभागिता, छात्र सेवारत है या नहीं इसका प्रमाण, शैक्षणिक रिकॉर्ड, जैसे कि 10 वी, 12वी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के परीक्षा परिणाम की जानकारी भरना होगी। इसके अलावा उसे अपने पिताजी का नाम, व्यवसाय तथा पत्र व्यवहार हेतु पते की भी जानकारी प्रविष्ट करनी होगी। अन्त में छात्र को घोषणा भी हस्ताक्षरित करनी होगी तथा अपने दूरभाष क्रमांक की जानकारी भी आवेदन पत्र में देनी होगी।
- 3.3 कियोस्क पर उपस्थित व्यक्ति आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विद्यार्थी को भुगतान की गई फीस रसीद सह आवेदन पत्र, एवं प्रवेश-पत्र जिस पर कि छात्र को आवंटित रोल नंबर अंकित होगा, का प्रिंटआउट प्रदान करेगा। कियोस्क से प्राप्त भरा हुआ आवेदन फार्म का प्रिंट अपनी सभी अंकसूची की

फोटो कॉपी, जातिप्रमाण-पत्र, एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में सहभागिता के प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति लगाकर **अध्यक्ष, प्रवेश समिति, भैतिकी अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर-474011** को निश्चित दिनांक से पूर्व स्पीड-पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से भेजना होगी। छात्र उक्त दस्तावेज स्वयं उपस्थित होकर पुस्तकालय में भी जमा कर सकता है।

3.4 एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है

पाठ्यक्रम	आवेदन की अंतिम तिथि	बिलम्ब शुल्क सहित*
बी.बी.ए/बी.बी.एस/बी.टी.एम/बी.सी.ए/बी.ए.एल.एल.बी /बी.एम/ बी.कॉम.एल.एल.बी./बी.एच.एम. एण्ड सी.टी सभी पी.जी डिप्लोमा, डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम	जून 20, 2015	जून 25, 2015
एम.एससी/एम.ए/एम.बीए./एम.कॉम/बी.लिब./एम.लिब.	जून 25, 2015	जून 30, 2015
एम.टेक/एम.फार्मा/एल.एल.एम.	जुलाई 05, 2015	जुलाई 10, 2015
एम.फिल/पी.एचडी.	अगस्त 05, 2015	अगस्त 08, 2015
*बिलम्ब शुल्क रुपये 500/- सभी कोर्स के लिये		

3.5 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये पंजीयन शुल्क 100/- रुपये प्रथक से कियोस्क पर ही जमा करने होंगे। (अगर कोई छात्र तीन पाठ्यक्रम के लिये आवेदन करता है तो उसे 500+300= 800 रुपये जमा करने होंगे।) छात्र अधिकतम **पाँच पाठ्यक्रम** के लिये आवेदन कर सकता है।

3.6 ऊपर वर्णित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय विचार नहीं करेगा।

4. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की दृष्टि से दो वर्ग हैं –

वर्ग – 1 प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम

वर्ग – 2 बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम

उक्त वर्गों में शामिल होने वाले पाठ्यक्रम एवं उनमें प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार हैं –

4.1 वर्ग – 1 प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया –

विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है

पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा प्रारूप	प्रवेश परीक्षा की दिनांक, समय तथा परिणाम की घोषणा	काउन्सिलिंग की तिथि समय – प्रातः 09.30 पर स्थान – गालव सभागार
स्नातक B.B.A./ B.C.A. / B.T.M. B.H.M.&C.T/ B.M./ B.B.S/ B.Com.LL.B/ B.A.L.L.B	a. सामान्य ज्ञान 25 अंक b. सामान्य अंग्रेजी 25 अंक c. गणितीय योग्यता 25 अंक d. तर्क शक्ति 25 अंक (प्रत्येक भाग में 25, कुल प्रश्न 100) स्तर – 10+02 कुल समय – 90 मिनट	परीक्षा – 28 जून 2015, प्रातः 09.30–11.00 परिणाम घोषणा – 29 जून 2015, सायं	काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए – 30 जून, 2015 सभी वर्गों के लिए
Post Graduate (Engineering & Law) M. Tech. <ul style="list-style-type: none"> • Chemical Engineering • Electronics Engineering M. Pharma. <ul style="list-style-type: none"> • Pharmaceutics • Industrial Pharmacy LL.M	एम.टेक, एम.फार्मा, एल.एल.एम. के लिए पृथक-पृथक परीक्षा आयोजित की जावेगी। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 75 प्रश्न पूछे जावेंगे। प्रश्न पत्र का स्तर क्रमशः बी.ई., बी.फार्मा. तथा एल.एल.बी स्तर का होगा। कुल समय – 90 मिनट	परीक्षा – 12, जुलाई 2015 प्रातः 09.30–11.30 परिणाम घोषणा – 13, जुलाई 2015, सायं	काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए – 16 जुलाई, 2015
Post Graduate (M.Sc.) <ul style="list-style-type: none"> • Instrumentation & Commercial Methods of Analysis (MICA) • Environmental Chemistry • Pharmaceutical Chemistry • Molecular Human Genetics • Microbiology • Neuroscience • Food Technology • Biotechnology 	प्रवेश परीक्षा हेतु निम्न किन्हीं दो विषयों का चयन a. बायोटेक्नोलॉजी 150 अंक b. वनस्पति विज्ञान 150 अंक c. रसायन शास्त्र 150 अंक d. गणित 150 अंक e. माइक्रो बायोलोजी 150 अंक f. भौतिक शास्त्र 150 अंक g. जन्तु विज्ञान 150 अंक (प्रत्येक विषय में कुल प्रश्न 75 प्रश्न, कुल 150 प्रश्न) स्तर – स्नातक कुल समय – 150 मिनट	परीक्षा – 05, जुलाई 2015, प्रातः 09:30–11:30 परिणाम घोषणा – 07, जुलाई 2015, सायं	एम.एस.सी. पाठ्यक्रम हेतु काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए 08 जुलाई, 2015 सभी वर्गों के लिए (रिक्त स्थान) – 10 जुलाई 2015

पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा प्रारूप	प्रवेश परीक्षा की दिनांक, समय तथा परिणाम की घोषणा	कार्डनसिलिंग की तिथि समय – प्रातः 09.30 पर स्थान – गालव सभागार
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम – एमबीए • MBA CSMM • MBA Financial Administration • MBA Tourism Administration • MBA Business Economics • MBA HRD • MBA E-Commerce • MBA Hospital Administration • MBA Heritage Tourism Management	प्रथम प्रश्नपत्र a. अंग्रेजी भाषा में दक्षता 25 अंक b. सामान्य तर्क एवं बुद्धि 25 अंक c. सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान 25 अंक d. गणितीय योग्यता 25 अंक (प्रत्येक भाग में 25, कुल प्रश्न 100) स्तर – भाग a, b, एवं c का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक स्तर के आधार पाठ्यक्रम एवं d भाग का पाठ्यक्रम सामान्य गणित पर आधारित रहेगा। कुल समय – 90 मिनट	परीक्षा – 05 जुलाई 2015, प्रातः 09:30–11.00 परिणाम घोषणा – 07, जुलाई 2015, सायं	एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु कार्डनसिलिंग सभी वर्गों के लिए – 09 जुलाई, 2015 सभी वर्गों के लिए (रिक्त स्थान) – 10 जुलाई 2015
	द्वितीय प्रश्नपत्र साक्षात्कार 10 अंक समूह परिचर्चा 10 अंक	परीक्षा – 06, जुलाई 2015, प्रातः 09:00 से 12:30 तक परिणाम घोषणा – 07, जुलाई 2015, सायं	
M.Phil सभी विषय	Paper- I General (Compulsory) a. अंग्रेजी भाषा में दक्षता 25 अंक b. सामान्य तर्क एवं बुद्धि 25 अंक c. सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान 25 अंक d. गणितीय योग्यता 25 अंक (प्रत्येक भाग में 25 प्रश्न कुल अंक 100) कुल समय – 90 मिनट स्तर – स्नातकोत्तर स्तर <i>(This paper will be qualifying only. The candidate will have to secure 30% marks in this paper.)</i>	परीक्षा – 16, August 2015, प्रातः 09:30 से 12:30 तक परिणाम घोषणा – 17 August, 2015, सायं	August 20, 2015, अलग-अलग विभागों में (सभी वर्गों के लिए)
Ph.D. सभी विषय	Paper- II Optional : विषय से संबंधित स्तर – स्नातकोत्तर (75 प्रश्न कुल अंक 150) <i>(Merit will be prepared on the basis of marks secured in paper II)</i> कुल समय – 90 मिनट		पी.एचडी पाठ्यक्रम के लिए कार्डनसिलिंग की तिथि पृथक से घोषित की जावेगी

- स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छात्र को प्रवेश परीक्षा में 30 प्रतिशत (25% for SC / ST / OBC) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- एम.फिल एवं पी.एचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र को प्रवेश परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में 30 प्रतिशत (25% for SC / ST / OBC) एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत (45% for SC / ST / OBC) अंक लाना अनिवार्य है।
- एम.फिल एवं पी.एचडी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रावीण्य सूची द्वितीय प्रश्न पत्र के प्राप्तांक के आधार पर बनाई जावेगी।

- 4.1.1 परीक्षा के दौरान आवेदकों को प्रश्नों के उत्तर **OMR Sheet** पर **Black / Blue Dot Pen** से अंकित करने हैं जिनका मूल्यांकन ओ0एम0आर0 मशीन द्वारा किया जायेगा । अतः आवेदकों को परीक्षा के दिन **Black / Blue Dot Pen** साथ लेकर आना है ।
- 4.1.2 प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गयी मेरिट सूची के आधार पर किये जायेंगे। सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के लिए सूची अलग-अलग बनायी जायेगी । अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित एवं सामान्य, दोनों वर्गों की सूची में स्थान पाता है तो वह दोनों विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है ।
- 4.1.3 एक से अधिक अभ्यर्थियों का समान सूचकांक होने पर निम्नानुसार वरीयताक्रम निर्धारित किया जायेगा—
- अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है ।
 - अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश स्थित अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है ।
 - अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है ।
- उपरोक्त सभी प्रकरणों में, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा 2015 में उत्तीर्ण की है को वरीयता प्रदान की जावेगी ।

4.1.4 काउन्सिलिंग

- 4.1.4.1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु **काउन्सिलिंग निर्धारित समय पर गालव सभागार** में शुरू होगी । काउन्सिलिंग के समय ही अन्तिम रूप से प्रवेश दे दिया जायेगा । अतः प्रावीण्य सूची में अंकित छात्र काउन्सिलिंग के समय निर्धारित फीस का बैंक ड्राफ्ट/नगद लेकर (गालव सभागार) के काउन्सिलिंग हॉल में उपस्थित रहें । ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम प्रावीण्य सूची में तो है लेकिन वह काउन्सिलिंग में उपस्थित नहीं होते हैं तो वह प्रवेश हेतु अपना अधिकार खो देंगे ।
- 4.1.4.2. अभ्यर्थी को स्वयं काउन्सिलिंग टीम के समक्ष उपस्थित होना है। **अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के समय सभी मूल प्रपत्र जो कि उसकी पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश की अर्हता दर्शाते हैं, जैसे कि – अंक सूचियाँ/उपाधियाँ अथवा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसने अर्हताकारी परीक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली है, के साथ उपस्थित रहना है।**
- 4.1.4.3. **30 जून, 2015** को सभी स्नातक पाठ्यक्रमों तथा **08-10 जुलाई, 2015** को समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये मेरिट के आधार पर समस्त स्थानों के लिये काउन्सिलिंग होगी । आरक्षित श्रेणी का कोई छात्र जिसने अपना विकल्प इस हेतु दिया हो उसे इन स्थानों हेतु मेरिट के आधार पर योग्य पाये जाने पर अनारक्षित स्थान पर प्रवेश दिया जा सकता है । प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी । इस सूची में केवल उन्हीं छात्रों के नाम सम्मिलित किये जायेंगे जिन्होंने काउन्सिलिंग के दिवस उपस्थिति दर्ज कराई गई है परन्तु उन्हें उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सका, जिसमें उन्होंने आवेदन किया था । यह प्रतीक्षा सूची बाद में खाली हुए रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिये ही उपयोग में लायी जायेगी ।

- 4.1.4.4. **30 जून, 2015** को स्नातक पाठ्यक्रम के अनारक्षित स्थानों हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् आरक्षित स्थानों के लिये प्रावीण्य सूची के आधार पर उसी दिन काउन्सिलिंग प्रारम्भ कर दी जायेगी। काउन्सिलिंग के पश्चात् जब सफल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जायेगी और उसके पश्चात् भी अगर 30 जून, 2015 को कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो इन स्थानों को अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इस संबंध में कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा घोषणा की जायेगी। तत्पश्चात् अनारक्षित वर्ग के लिये काउंसलिंग को जारी रखा जावेगा। अगर आवश्यकता होगी तो काउन्सिलिंग 01 **जुलाई 2015** को भी जारी रखी जा सकती है।
- 4.1.4.5. इसी प्रकार **08 जुलाई, 2015 को एम.एससी.** स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अनारक्षित स्थानों हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के एवं **09 जुलाई, 2015 को एम.बी.ए.** पाठ्यक्रमों हेतु काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् आरक्षित वर्ग की प्रावीण्य सूची के आधार पर आरक्षित वर्ग के स्थानों हेतु काउन्सिलिंग उन्हीं दिवसों में ही सम्पन्न होगी। काउन्सिलिंग के पश्चात् जब सफल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जायेगी और उसके पश्चात् ही **08 एवं 09 जुलाई, 2015** को कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हीं दिवसों में इन स्थानों को अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इस संबंध में **08 जुलाई, 2015 एवं 09 जुलाई, 2015** को कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा घोषणा की जायेगी। अगर आवश्यकता होगी तो काउन्सिलिंग **10 जुलाई, 2015** को भी जारी रखी जायेगी। तत्पश्चात् रिक्त रहे स्थानों पर प्रवेश सम्बन्धित विभागों में विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा किये जावेंगे।
- 4.1.4.6. रिक्त स्थानों हेतु काउन्सिलिंग में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जिन्होंने पूर्व में काउन्सिलिंग की तिथियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है तथा उनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। प्रतीक्षा सूची में स्थान पाने के लिये अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे काउन्सिलिंग स्थान पर उपलब्ध उपस्थिति पत्रक में अपना नाम दर्ज करें, जो अभ्यर्थी उपस्थिति पत्रक में किसी कारणवश अपना नाम अंकित नहीं करेगा उसे प्रतीक्षा सूची में स्थान नहीं मिलेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- 4.1.4.7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा दी है तथा अपने परीक्षा परिणाम का इन्तजार कर रहे हैं, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार के अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय प्राविधिक प्रवेश दिया जा सकता है, अगर उन्होंने प्रवेश हेतु मेरिट में स्थान बनाया है तथा लंबित घोषित परिणाम के पूर्व के सत्रों/वर्षों में उनके द्वारा प्राप्त औसत प्रतिशत उस पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता प्रतिशत के बराबर अथवा अधिक हैं, किन्तु ऐसे आवेदकों को भी इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि अगर वह अपना परीक्षा परिणाम **30 जुलाई 2015** तक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के साथ उपलब्ध नहीं करते हैं, तो उनका

प्रवेश निरस्त माना जाये। उक्त परिस्थिति में उनके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा।

- 4.1.4.8. परामर्श के दौरान परामर्शदात्री समिति के संतुष्ट होने पर वह अभ्यर्थी को एक पर्ची देगी जिसको दिखाकर अभ्यर्थी निर्धारित फीस, विश्वविद्यालय/बैंक के कैंश काउन्टर पर उसी समय जमा करेगा। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद/चालान की एक प्रति संबंधित विभाग के पास जमा करेगा।
- 4.1.4.9. अगर अभ्यर्थी ऊपर वर्णित किसी भी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहता है तो उसकी प्रवेश हेतु उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 4.1.4.10. अगर कोई अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के दिन/समय सम्पूर्ण फीस जमा नहीं करता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वह सीट उसके बाद जिस अभ्यर्थी का नाम होगा उसे दे दी जायेगी। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति संबंधित विभाग के पास जमा नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि उसे दिया गया प्रवेश मान्य नहीं है, तथापि प्रवेश रद्द माना जायेगा।
- 4.1.4.11. यदि कोई ओपन सीट किसी पाठ्यक्रम में खाली होती है तो उस दशा में उस सीट को भरने का प्रथम अधिकार उस छात्र का होगा जो पेमेंट सीट में प्रवेश के प्रथम स्थान पर है।
- 4.1.4.12. प्रयास यह होगा कि काउन्सिलिंग एक दिन में ही पूर्ण कर ली जाये, लेकिन अगर आवश्यक हुआ तो उसे दूसरे दिन भी जारी रखा जा सकता है। सभी अभ्यर्थी इस परिस्थिति के लिये तैयार होकर आये। सभी अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के दिन पूर्ण समय तक काउन्सिलिंग हॉल में उपस्थित रहें। अगर वे उनका नाम पुकारे जाने के पश्चात् काउन्सिलिंग टीम के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका प्रवेश हेतु अधिकार समाप्त समझा जायेगा तथा अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

4.2 वर्ग – II बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया –

4.2.1 पाठ्यक्रमों की सूची

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इस वर्ग के पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैं –

S.no	Level	Course			
1	Graduate	B. Lib. I. Sc.			
2	Post Graduate	M. Lib. I. Sc.			
		M.A. English	M.Sc. Physics		
		M.A. French	M.Sc. Electronics		
		M.A. Hindi	M.Sc. Mathematics		
		M.A. Education	M.Sc. Geology		
		M.A. Sanskrit	M.Sc. Chemistry		
		M.A. History	M.Sc. Remote Sensing & GIS		
		M.A. Extension Education & Social Work	M.Sc. Environmental Science		
		M.A. Political Science	M.Sc. Botany		
		M.A. Public Admn.	M.Sc. Zoology		
		M.A. Economics	M.Sc. Industrial Chemistry		
		M.A. Jyotirvigyan	M.Sc. Biochemistry		
		M.A. Ancient Indian History, Culture & Archaeology	M.Sc. Computer Science		
			M.Sc. Medicinal Plant & Herbal Resource Management		
3	P.G. Diploma	Retail Management	Yoga Tharepy	French	
		Financial Administration	Computer Applications (PGDCA)	Museology	
		Forensic Science.	English		
4	Diploma	Food Production	Printing Technology	Security Management	Sprituality And Prsonality Management
5	Certificate	French	English	Security Management	
6	Courses conducted by Institute of Distance Education	B.A., B.Sc., B.Com., B.B.A. (RTM), B.Lib.I.Sc., BJMC, M.A. (Drawing & Painting, English, Economics, Geography, Hindi, History, Sanskrit, Sociology, M.S.W., B.Sc. (IT), M.Sc. (IT) MBA (C.S.M.M., RTM) (each of TWO years duration), MBA(General), P.G. Diploma in : Psychological Counseling, Computer Applications			

4.2.2 प्रवेश प्रक्रिया –

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम एवं रेगुलेशन निम्नानुसार हैं –

4.2.2.1 इन पाठ्यक्रमों में **प्रवेश मेरिट के आधार पर** काउन्सिलिंग द्वारा दिया जायेगा। प्रवेश के लिये अभ्यर्थी की मेरिट इन्डेक्स/ आर्हताकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांक से निर्धारित की जायेगी।

4.2.2.2 **सूचकांक (Index) निकालने के लिये नियम –**

- i. विज्ञान एवं जीव विज्ञान के वे पाठ्यक्रम जो कि **वर्ग II** में चिन्हित हैं में प्रवेश हेतु **इन्डेक्स बी0 एस-सी0 परीक्षा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत एवं बी0 एस-सी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सम्बन्धित विषय के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का प्रतिशत का योग** होगा। इस **इन्डेक्स** को प्रतिशत में दर्शाया जायेगा।
- ii. **कला, समाज विज्ञान एवं वाणिज्य** के विषयों के लिये बी0 ए0/बी0 एस-सी0/बी0 कॉम0 की परीक्षा के **सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंक** का प्रतिशत इन विषयों में प्रवेश हेतु **इन्डेक्स** होगा।
- iii. बी0लिब0 में प्रवेश आर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत की मेरिट से होगा। प्रवेश हेतु, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर,, जिस भी स्तर पर भी अधिक अंक प्राप्त किये हैं, प्रवेश हेतु इन्डेक्स में शामिल किए जायेंगे।
- iv. एम0लिब0 में प्रवेश हेतु बी0लिब0 या यू0जी0सी0 द्वारा मान्य बी0लिब0 के समकक्ष पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिस भी पाठ्यक्रम में अधिक अंक प्राप्त किये हैं, प्रवेश हेतु इन्डेक्स में शामिल किए जायेंगे
- v. विभिन्न स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों में मेरिट 10 + 2 परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार मानकर बनायी जायेगी।

4.2.2.3 एक से अधिक अभ्यर्थियों का समान सूचकांक होने पर निम्नानुसार वरीयताक्रम निर्धारित किया जायेगा–

- i अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।
- ii अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश स्थित अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।
- iii अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा 2015 में उत्तीर्ण की है वरीयता दी जावेगी।

4.2.3 काउन्सिलिंग

4.2.3.1 **वर्ग II** में दर्शाये गए पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट सूची उनके इन्डेक्स के अनुसार प्रत्येक विभाग के सूचना पटल पर **09 जुलाई 2015 को सांय तक** चस्पा कर दी जायेगी। सिर्फ वही अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के लिये पात्र होंगे, जिनके नाम इन सूचियों में हैं।

- 4.2.3.2 वे सभी अभ्यर्थी जिनके नाम प्रावीण्य सूची में हैं, वे **दिनांक 11 जुलाई 2015 को अपरान्ह 12:00 बजे** सम्बन्धित विभाग में काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित होंगे। वे अपने साथ निम्न प्रपत्र की मूल एवं एक छायाप्रति लायेंगे –
- क. अर्हताकारी परीक्षा के सभी वर्षों/सत्रों की अंकसूची,
 - ख. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टी0 सी0)
 - ग. अर्हता प्रमाण पत्र, की मूल प्रति (सिर्फ वह अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है)
 - घ. माईग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति (सिर्फ वह अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है)
- 4.2.3.3 प्रावीण्य सूची के अनुसार अभ्यर्थी का प्रवेश काउन्सिलिंग के समय ही निश्चित कर दिया जायेगा तथा उसे फीस जमा करने हेतु एक स्लिप दी जायेगी। इस स्लिप को दिखाकर वह निर्धारित फीस, फीस काउन्टर पर जमा करेगा तथा रसीद की एक प्रति काउन्सिलिंग टीम के पास जमा करेगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित फीस का बैंक ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम देय होगा, लायेंगे अथवा बैंक कॅश काउन्टर पर निर्धारित कॅश जमा करेंगे। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद/चालान की एक प्रति काउन्सिलिंग टीम के पास जमा करेगा।
- 4.2.3.4 **ऐसे पाठ्यक्रमों में** जहाँ प्रवेश हेतु केवल अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत को प्रवेश हेतु मेरिट बनाने में शामिल किया जाता है वहाँ प्रावधिक प्रवेश स्थान रिक्त होने तथा कोई योग्य अभियार्थी उपलब्ध न होने पर ही दिया जा सकता है। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा लंबित घोषित परिणाम के पूर्व के सत्रों/वर्षों में उनके द्वारा प्राप्त औसत प्रतिशत उस पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता प्रतिशत के बराबर अथवा अधिक होना चाहिए। किन्तु ऐसे आवेदकों को भी इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि अगर वह अपना परीक्षा परिणाम 30 जुलाई 2015 तक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के साथ उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, तो उनका प्रवेश निरस्त माना जाये। उक्त परिस्थिति में उनके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा।
- 4.2.3.5 उपरोक्त कोई भी शर्तों या निर्देशों को पालन अभियार्थी के द्वारा नहीं करने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 4.2.3.6 अगर कोई अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के दिन/समय फीस जमा नहीं करता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वह सीट उसके बाद जिस अभ्यर्थी का नाम होगा उसे दे दी जायेगी। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति काउन्सिलिंग टीम के पास जमा नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि उसे दिया गया प्रवेश मान्य नहीं है, तथापि प्रवेश रद्द माना जायेगा।
- 4.2.3.7 काउन्सिलिंग के दिन जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें अनुपस्थित मानकर उनका नाम प्रवेश सूची से हटा कर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

5 प्रवेश परीक्षा का स्थान –

- 5.2 प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षाये विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जावेगी। विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा हेतु नियत स्थानों की जानकारी विश्वविद्यालय परिसर में स्थित गालव सभागार, पूछताछ केन्द्र आदि के सूचना पटल पर उपलब्ध रहेगी।
- 5.3 बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया संबन्धित विभाग में ही सम्पन्न होगी।

6 शुल्क वापसी संबन्धी प्रावधान

- 6.1 अगर कोई आवेदक अंतिम काउन्सिलिंग के दिन (जुलाई 16, 2015) के पूर्व अपना प्रवेश निरस्त करा लेता है तो उसके द्वारा निर्धारित जमा की गई फीस में से 10 प्रतिशत फीस काटकर आवेदक को वापिस कर दी जावेगी। किन्तु इस तिथि के पश्चात् केवल प्रतिभूति धन ही वापिस किया जायेगा।
- 6.2 अगर अभ्यर्थी अपना प्रवेश किसी अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरण, अंतिम काउन्सिलिंग तक कराता है तो उसके द्वारा जमा की गयी फीस में से 10% राशि काटकर परिवर्तित पाठ्यक्रम में स्थानान्तरण कर दी जावेगी। तथापि अभ्यर्थी को परिवर्तित पाठ्यक्रम में कुल फीस का केवल 10% का भुगतान और करना होगा। अंतिम काउन्सिलिंग के बाद पाठ्यक्रम/विषय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभ्यर्थी केवल एक बार ही पाठ्यक्रम परिवर्तित करवा सकता है।
- 6.3 यदि किसी आवेदक ने इस आशय का वचनपत्र दिया है कि यदि वह अपनी अर्हतादायी परीक्षा का परिणाम 30 जुलाई, 2015 तक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के साथ उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जाये। उस दशा में यदि आवेदक 30 जुलाई, 2015 तक परीक्षा परिणाम प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा वापिस नहीं किया जायेगा।
- 6.4 ऐसे आवेदक जिन्होंने किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है एवं वह विभिन्न कारणों से अंतिम काउन्सिलिंग के पूर्व प्रवेश को निरस्त करवाते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि आवेदक को वापिस कर दी जावेगी। किन्तु अगर आवेदक अन्तिम काउन्सिलिंग के पश्चात् फीस वापिस हेतु आवेदन करता है तो उसे केवल प्रतिभूति धन ही वापिस किया जावेगा।
- 6.5 अगर प्रावधिक प्रवेश प्राप्त छात्र बाद में फेल घोषित होता है तो उसे 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि वापस कर दी जायेगी।

7 अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु –

- 7.1 कोई ऐसे विशेष प्रकरण से सम्बन्धित जानकारी, जिसका कि उल्लेख इस विवरणिका में नहीं हुआ हो, को प्रवेश समिति को हस्तांतरण कर दिया जायेगा। यह समिति जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिनियम, संबन्धी एवं अध्यादेशों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर कार्य करेगी तथा इसका निर्णय अंतिम होगा।
- 7.2 कानूनी मतभेदों का निराकरण ग्वालियर परिक्षेत्र स्थित न्यायालय में ही किया जायेगा।
- 7.3 विवरणिका में दर्शाये किसी पाठ्यक्रम को चलाने या न चलाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

- 7.4 विश्वविद्यालय के कुछ पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रमों के समक्ष दर्शाई गयीं एजेन्सियों द्वारा सम्पन्न करायी जाती है—

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	परीक्षा कराने वाली एजेन्सियाँ
1.	B.E. Chemical / B.E. Electronics / B.E. Computer Science	AIEEEE/ JEE Examination
2.	M.C.A. & M.B.A. (M.M, FM, HRDM)	Pre-M.C.A. and M.P.-M.E.T.- conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.
3.	B.Pharma	MP- Pharma-JET, conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.
4	B.P.Ed & M.P.Ed.	MP Higher Education through mponline

जो छात्र उपर्युक्त बाह्य एजेन्सी की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, उन्हें भी विश्वविद्यालय की प्रवेश विवरणिका क्रय कर विश्वविद्यालय का प्रवेश आवेदन-पत्र भी भरना होगा ।

- 7.5 विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर या बाहर रेगिंग, छेड़खानी, उत्पीड़न तथा उपद्रव करना गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। जो अभ्यर्थी परिसर के अन्दर या बाहर यह सब करते पाये जायेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 7.6 यदि रेगिंग की कोई घटना विश्वविद्यालय की जानकारी में आती है तो सम्बन्धित छात्र को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो विश्वविद्यालय उसे संस्था से निष्काषित कर देगा।
- 7.7 यदि एम0 फिल0 पाठ्यक्रम में 05 तथा अन्य पाठ्यक्रमों में 10 से कम संख्या में वर्ष 2015-16 में छात्र प्रवेश लेते हैं तो ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित न करने का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया जा सकता है इस दशा में छात्रों को उनके द्वारा जमाशुल्क की समस्त राशि वापिस कर दी जावेगी।
- 7.8 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से शुल्क मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार लिया जावेगा। उक्त छात्रों द्वारा दी जाने वाली शुल्क का निर्धारण उनके अभिभावकों की कुल आय के आधार पर किया जावेगा।
- 7.9 यदि उक्त छात्र पेमेन्ट सीट पर प्रवेश लेते हैं तो उन्हें प्रवेश के समय कौशन मनी के अलावा पेमेन्ट शुल्क का भी भुगतान करना होगा
- 7.10 जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या अन्य किसी प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है तो उसके संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
- 7.11 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- 7.12 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा बाद में अगर यह पाया जाता हैकि कोई प्रवेश प्रशासनिक चूक अथवा प्रवेश कर रहे काउंसलर की गलती से हो जाता है तो इस प्रकार के प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दिये जावेंगे। इस अवस्था में छात्र द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण फीस वापिस कर दी जावेगी।
- 7.13 छात्र को स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश लेने से 5 वर्ष में पूर्ण करना होगा। इसी प्रकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश से 3 वर्ष में पूर्ण करना होगा। अगर कोई छात्र उपरोक्त अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसे पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी तथा उसे किसी भी प्रकार की शुल्क(प्रतिभूति धन छोड़कर) वापिस नहीं की जायेगी।